<u>न्यायालय</u>— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला—बालाधाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रक.कमांक—628 / 2014</u> <u>संस्थित दिनांक—07.07.2014</u> फाईलिंग क.234503003452014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–बैहर
जिला—बालाघाट (म.प्र.) ————————————————————————————————————
// <u>विरुद</u> //
सुखचंद कुमरे पिता अगनूलाल कुमरे, उम्र–42 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी–ग्राम बरवाही, थाना बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — — — — <u>आरोपी</u>

// <u>निर्णय</u> // (<u>आज दिनांक-15/10/2015 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—12.12.2013 को करीब 12:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम बरवाही फरियादी/आहत अनिता कुमरे को बांए हाथ की कोहनी में धारदार कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—12.12.2013 को दिन के 12:00 बजे फरियादी अनिता कुमरे अपने घर पर थी, उसी समय उसका पित आरोपी सुखचंद शराब पीकर आया, तो वह बोली कि गिरवी रखे जेवर लेने मोहगांव चलो। जिस पर से आवेश में आकर उसके पित आरोपी सुखचंद कुमरे ने गंदी—गंदी गालियां, साली, छिनाल कहां जाती है, तेरे को जेवर लेने की पड़ी है कहकर उसके साथ हाथ—मुक्कों से मारपीट करने लगा और कहने लगा कि उसे जान से खत्म कर दूंगा और घर के अन्दर घुसकर कुल्हाड़ी निकालकर उसके बांए हाथ की कोहनी पर मार दिया, जिससे खून निकला है। बीच—बचाव करने उसका लड़का अंकित और गांव का रूपलाल, इनेश आए थे। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी अनिता कुमरे द्वारा थाना बैहर में आरोपी के विरूद्ध की गई। उक्त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र बैहर में आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक—183 / 13, धारा—294, 323, 324, 506 (भाग—2) भा.द.वि. का

अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा घटना स्थल से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी जप्त की गई। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये। आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी ने आरोप विरचित होने के पूर्व आहत अनिता कुमरे ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिसके फलस्वरूप धारा—294, 323, 506 भाग—2 भा.द.वि. का शमनीय अपराध शमन कर शेष अशमनीय अपराध धारा—324 भा.द.वि. के अंतर्गत विचारण पूर्ण किया गया। आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक—12.12.2013 को करीब 12:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम बरवाही फरियादी/आहत अनिता कुमरे को बांए हाथ की कोहनी में धारदार कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष 👇

- 5— फरियादी अनिता कुमरे (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि । साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी ने घटना के समय कुल्हाड़ी निकालकर उसके बांए हाथ की कोहनी में चोट पहुंचाई थी। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने आरोपी के द्वारा उसे कुल्हाड़ी से मारने और उक्त बात उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 में बताए जाने व पुलिस को उसके कथन प्रदर्श पी—3 में बताने से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं फरियादी व आहत होते हुए भी अभियोजन मामलें का महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया है।
- 6— प्रकरण में स्वयं फरियादी अनिता कुमरे ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय आरोपी के द्वारा कथित धारदार हथियार कुल्हाड़ी से उसे चोट पहुंचाए जाने से इंकार किया है। आरोपी से कथित हथियार जप्त करने के संबंध में जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का मेमोरेण्डम व जप्ती के साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है।

ऐसी दशा में आरोपी के विरूद्ध की गई कार्यवाही संदेहास्पद प्रकट होती है, जिसका लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त होता है।

- 7— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने घटना के समय फरियादी अनिता कुमरे को बांए हाथ की कोहनी में धारदार कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।
- 8— मामले में आरोपी अभिरक्षा में नहीं रहा हैं। उक्त के संबंध में पृथक से धारा–428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण–पत्र तैयार किया जाये।
- 9— अारोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है।
- 10— प्रकरण में जप्तशुदा कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट